प्रेस नोट 05.11.2020

मुख्तार अंसारी गिरोह आई0एस 191 के नजदीकी भूमाफिया/अपराधिक माफिया मो0 ईशा की अवैध तीन मंजिला इमारत पेरिस प्लाजा (अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़) को मऊ पुलिस/प्रशासन द्वारा कराया गया ध्वस्त–

जनपद मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा अवैध भू–माफियाओं/अवैध कब्जा/निर्माण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.11.2020 कों नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर तिराहे के पास बने अवैध पेरिस प्लाजा (अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़) को ध्वस्त कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि मो0 ईशा पुत्र जकी अहमद निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली द्वारा गाजीपुर तिराहे पर बिना वैध नक्शे के तीन मंजिला इमारत को बनाया गया था, जिसके सम्बन्ध में वर्ष 2004 से मुकद्मा विचाराधीन था। दिनांक 27.08.2020 को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मो0 ईशा द्वारा कलेक्टर/नियंत्रक प्रधिकारी मऊ न्यायालय में अपील की गयी थी, जिसको कलेक्टर/नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2020 को अपील निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 05.11.2020 को उक्त के ध्वस्तीकरण हेतु आर0बी0ओ0 एक्ट की धारा 10 के अर्न्तगत आदेश पारित किया गया।

जनपद में कानूनध्शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराधध्अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के रिपोर्ट पर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह बंसल द्वारा, ***04 शातिर अभ्यासतन अपराधियों को जिलाबदर घोषित किया गया है***, जिनका विवरण निम्नवत है–

1 – संजय पुत्र सुर्दशन निवासी नेवादा थाना चिरैयाकोट मऊ। (03 माह)
2 – आशीष यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी मऊ। (06 माह)
3 – धर्मेन्द्र यादव पुत्र सोहित यादव निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर मऊ। (06 माह)
4 – राकेश उर्फ जिम्मी सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी फतेहपुर थाना रानीपुर मऊ। (06 माह)

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 05.11.2020 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 364/20 धारा 376,511,354क,147,323,504,506 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त अमीर पुत्र बदरुद्दीन निवासी जहागीराबाद थाना दक्षिणटोला व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बलिया मोड़ के पास से मु0अ0सं0 577/20 धारा 457,380,411 भादवि में वांछित अभियुक्त मो0 दानिश पुत्र रईस निवासी खीरीबाग के कब्जे से चोरी के 02 मोबाइलफोन व 53 पुड़िया गुटखा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

प्रतिबन्धित गोमांस के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.11.2020 को देखभाल क्षेत्र के दौरान मदा समसपुर के पास से शाहिद रजा व मो0 आशिक पुत्रगण इश्तियाक निवासीगण करीमुद्दीनपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 40 किलोग्राम प्रतिबन्धित गोमांस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 896/20 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 05.11.2020 को यातायात माह नवम्बर 2020 के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की उपस्थिति में यातायात प्रभारी संतोष यादव, एचसीपी रमेश कुमार, आरक्षी प्रवीण कुमार व टीम के साथ, अमर उजाला के सहयोग से ललित कला अकादमी के बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गयी व प्रश्नोत्तरी के दौरान टाप–3 में आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात बाल निकेतन, मिर्जाहादीपुरा, भीटी चौक, बलिया मोड़ पर यातायात के नियमों का उलंघन करने वाले वाहनों, बिना रजिस्ट्रेशन, डीएल, इन्श्योरेंस, फिटनेश, हेलमेट व गलत नम्बर प्लेट आदि में कुल 70वाहनों का चालान किया गया जिसमें 25 बिना हेलमेट, 20 सीटबेल्ट, 10 गलत नंबर प्लेट व 15 बिना डीएल वाले वाहनों का चालान किया गया तथा 16 हजार 700 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।